

9 मई को प्रदेशभर में आयोजित होगी नेशनल लोक अदालत

# 31 लाख से ज्यादा मामले निपटाने का लक्ष्य, पुराने केस खत्म करने पर दें जोर: सीजे

भास्कर न्यूज़ | बिलासपुर

प्रदेश में 9 मई को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों की राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मुख्य संरक्षक व चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने समीक्षा की। सीजे ने वर्चुअल माध्यम से सभी जिलों के न्यायिक अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने कहा कि लोक अदालत का उद्देश्य लंबित मामलों का त्वरित और सुलभ निपटारा करना है।

प्रदेश भर में लोक अदालत के माध्यम से विवादों को सुलझाने के लिए कुल 31,90,982 मामलों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। इनमें 31,14,779 कोर्ट पहुंचने से पहले के मामले शामिल हैं। विभिन्न अदालतों में पेंडिंग 76,203 मामलों में भी आपसी सुलह की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। चीफ जस्टिस ने राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष जस्टिस संजय के. अग्रवाल और हाई कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी के चेयरमैन जस्टिस पार्थ प्रतीम साहू की उपस्थिति में निर्देश दिए कि पुराने लंबित सिविल और आपराधिक सुलह योग्य मामलों को प्राथमिकता दें।



## समाधान समारोह के तहत सुप्रीम कोर्ट के केस भी होंगे हल

चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट की पहल समाधान समारोह को प्रभावी ढंग से लागू करने को कहा है। इसकी तैयारी 21 अप्रैल से शुरू हो चुकी है। 21 से 23 अगस्त 2026 को प्रस्तावित विशेष लोक अदालत के साथ इसका समापन होगा। उद्देश्य सुप्रीम कोर्ट में लंबित छत्तीसगढ़ के मामलों को आपसी सहमति से खत्म करना है।

## मोहल्ला लोक अदालत भी लगेगी

जन उपयोगी सेवाओं से जुड़े विवादों का निपटारा मोहल्ला लोक अदालत के जरिए किया जाएगा। चीफ जस्टिस ने निर्देश दिए हैं कि सभी पक्षकारों को समय पर नोटिस भेजे जाएं और इस

आयोजन का व्यापक प्रचार-प्रसार हो। यह आयोजन हाई कोर्ट, जिला न्यायालयों, तहसील न्यायालयों और परिवार न्यायालयों सहित सभी राजस्व अदालतों में एक साथ होगा।